

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/(परिवीक्षा द्वितीय)/2017/

दिनांक :

आदेश

निम्नलिखित कनिष्ठ लिपिकों को उनके परिवीक्षा अवधि सन्तोषप्रद पूर्ण करने के फलस्वरूप राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 41 के तहत वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 14 (1)एफ.डी/(रूल्स)2013-॥दिनांक 28.06.13 की अनुपालना में दो वर्ष की परिवीक्षाकाल पूर्ण तिथि से 9840 (5200-20200 रनिंग पै व ग्रेड पै 2400) से उनके नामों के सम्मुख अंकितानुसार वेतन नियतन किया जाकर एतद् द्वारा स्थाई किया जाता है।

क्र. सं.	नाम कर्मचारी व पद	पदस्थापन स्थान	प्रथम नियुक्ति तिथि	2 वर्ष पश्चात परिवीक्षा पूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि	टंकण परीक्षा उत्तीर्ण तिथि	कम्प्यूटर योग्यता आर.एस.सी.आई.टी./प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण तिथि
1.	श्री नरेश कुमार, लिपिक ग्रेड द्वितीय	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर।	12.03.2015	12.03.2017	25.01.2017	08.04.2013 (RSCIT)
2.	श्री अशोक कुमार, लिपिक ग्रेड द्वितीय	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोशीथल, भीलवाड़ा।	19.02.2015	19.02.2017	24.09.2015	05.02.2016 (RSCIT)
3.	श्री लोकेश सुमन, लिपिक ग्रेड द्वितीय	राजकीय चिकित्सालय, हिण्डौन सिटी, जिला करौली।	06.09.2012	06.09.2014	18.05.2015	04.09.2012 (RSCIT)
4.	श्री तेज सिंह, लिपिक ग्रेड द्वितीय	पं० दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल गणगोरी बाजार, जयपुर।	15.06.2015	15.06.2017	30.05.2016	08.04.2013 (RSCIT)
5.	श्री मुरारी लाल बैरवा, लिपिक ग्रेड द्वितीय	पं० दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल गणगोरी बाजार, जयपुर।	18.06.2015	18.06.2017	30.05.2016	04.07.2014 (DCA)
6.	सुश्री प्रीती नागर, लिपिक ग्रेड द्वितीय	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, झालावाड़।	17.06.2015	17.06.2017	25.01.2017	25.08.2014 (RSCIT)

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर

दिनांक : 25/09/17

क्रमांक :- ई-18/एम/(परिवीक्षा द्वितीय)/2017/1743

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अधीक्षक, पं० दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल गणगोरी बाजार, जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा/धौलपुर।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय, झालावाड़।
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय, हिण्डौन सिटी, जिला करौली।
5. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोशीथल, भीलवाड़ा।
6. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर